दिनांक .... को प्रस्तुत हुआ

२२.१.१९ पक्षकारान उपस्थित।

वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 से 3 ने दिनांक 2.4.18 को राजीनामा प्रस्तुत किया, जो शामिल पत्रावली है। प्रतिवादी टीकमसिंह का स्वर्गवास हो चुका है, जिसके जिसे उनके कायम मुकाम ओमकंवर पुत्री एवं प्रतिवादी सं. २ व ३ एवं वादी स्वर्गीय टीकम सिंह के वारिसान है। प्रतिवादी सं. 1 ओमकंवर जो वादी एवं प्रतिवादी सं. २ व ३ की बहिन होने से स्वर्गीय टीकम सिंह के खातेदारी के खेतान मे अपना हक हिस्सा नहीं रखकर, मौखिक रूप से अपने भाइयों के हक मे तर्क कर दिया है।

अतः वादी की वाद स्वीकार किया जाकर मौखिक राजीनामा निम्न प्रकार से डिक्री किया जाता है।

खेतान खसरा नं. २६ रकबा २७ बीघा २ बिस्वा, खसरा नं. ७७

P.T.O

FORM No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत ....

बनाम

किस्म मुकदमा .... नं. .... सन .....

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिथियल्स जज
	रकबा 106 बीघा 15 बिस्वा, खसरा नं. 102 रकबा 14 बीघा, खसरा नं. 170 रकबा 4 बीघा 13 बिस्वा, खसरा नं. 228 रकबा 29 बीघा 9 बिस्वा, खसरा नं. 229/463 रकबा 3 बीघा 10 बिस्वा ख. नं. 232 रकबा 8 बीघा 18 बिस्वा 5 बिस्वा, ख. नं. 233, रकबा 4 बिस्वा ख. नं. 283 रकबा 4 बिस्वा मौजा कुकर्मसोता कुल रकबा 194 बीघा 16 बिस्वा मे वादी / प्रतिवादी संख्या 2 व 3 प्रत्येक की 1/3 - 1/3 हिस्सा बटकर्ता काश्त खातेदारी मे घोषित किया जाता है। इसी अनुसार डिक्री पर्चा जारी हो नियमानुसार आवश्यक स्टाम्प ड्यूटी प्रस्तुत करने पर राजस्व रिकॉर्ड मे अमल दरामद करने हेतु तहसीलदार नागौर को लिखा जावे। पत्रावली बाद आवश्यक कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो।
	नागौर